प्रेसनोट

दिनांक-21.04.2024

एक अदद दो पहिया वाहन टी.वी.एस. जूपीटर

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गम्भीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन व अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात कमिश्नरेट वाराणसी तथा यातायात निरीक्षक मुख्यालय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 20.04.2024 को Tsi श्री दुर्गेश कुमार सरोज प्रभारी कमाण्ड सेण्टर सिगरा द्वारा पूर्व प्राप्त संतोष कुमार शुक्ला द्वारा दिये गये सूचना पर उनके वाहन संख्या UP65DU4827 का नम्बर प्लेट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से अपने वाहन पर लगाकर चलाया जा रहा है, जिसका चालान होने पर चालान से सम्बन्धित मैसेज उनके पास भेजा जा रहा है, की जाँच के क्रम में कमाण्ड सेंटर सिगरा में वाहन संख्या UP65DU4827 को अलर्ट पर लगाया गया था, जिसे दिनांक 20.04.2024 को समय 12.02 पर अलर्ट प्राप्त होने पर साजन तिराहे पर ड्यूटी पर तैनात यातायात आरक्षी 2879 अरूण कुमार यादव को अवगत कराया गया, जिस पर वाहन उपरोक्त को मय चालक के साथ रोककर चेक किया गया, दौराने चेकिंग मैं उ0नि0 यातायात उक्त तिराहे पर उपस्थित आया तथा वाहन चालक से नाम-पत्ता पूछा गया तो उसने अपना नाम इरफान अख्तर पुत्र समीम अख्तर पत्ता C-19/228,B-4-A 1 सिगरा रोड लल्लापुरा, छित्तूपुरा वाराणसी उ0प्र0 बताया तथा उसके कब्जे से टीवीएस जूपीटर स्कूटी स्काई ब्लू कलर जिसके नम्बर प्लेट पर रजिस्ट्रेशन नम्बर UP65DU4827 के वाहन का हाई नम्बर प्लेट लगा हुआ बरामद हुआ, जिसका चेचिस नम्बर DGUPK3302114 है। वाहन चालक इरफान अख्तर से वाहन से सम्बन्धित कागजात मांगा गया तो वाहन से सम्बन्धित कोई कागजात प्रस्तुत नही किया गया और बताया कि उसके द्वारा परिवहन अधिकारी वाराणसी के यहां से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है, जिसके कारण उक्त वाहन को मय चालक के थाना सिगरा को सुपुर्द किया गया तथा उपरोक्त चालक के विरूद्ध थाना- सिगरा, जोन- काशी कमिश्नरेट वाराणसी में मु0अ0सं0- 118/24 धारा 417/420 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया।

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट- वाराणसी।